ई–पत्रावली संख्या–54454

संख्या–757/XII–3/2023/01(01)/2023

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
(2) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–283/2023 के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी जो पी0एम0जी0एस0वाई0 या अन्य योजनाओं में निर्मित सड़क मार्ग से वंचित रह गई है, उन असंयोजित बसावटों को एकल संयोजन प्रदान किये जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सड़क (वी0आर0) के रूप में वर्गीकृत ग्रामीण सड़कों को चयनित किया जायेगा। ग्रामीण सड़कों के लिए विशिष्टियां शासनादेश दिनांक 28.02.2015 के अनुसार अपनाई जायेंगी।

(ii) सड़क के निर्माण तल की चौड़ाई 5.20 मी0 तथा कैरिजवे की न्यूनतम चौड़ाई 3.00 मी0 रखी जायेगी। सड़कों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण सामान्यतः 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा।

(iii) सड़कों के निर्माण के लिए अन्य प्रावधान आई0आर0सी0–एस0पी0–20 और एस0पी0– 48 के अनुसार प्रावधानित किये जायेंगे। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु कार्य के आंगणन में दरें लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार प्रावधानित की जायेंगी।

(iv) ग्रामीण अंचलों में यातायात घनत्व की कमी को दृष्टिगत रखते हुये उक्त योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण ग्रेवल सतह (पत्थर के छोटे–छोटे टुकडे वाली सतह) से किया जायेगा।

(v) ऐसी बसावटें जो पूर्व निर्मित मुख्य मार्ग से संयोजित हों, ऐसी बसावट को उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित योजना के तहत चयनित कार्यों की किसी अन्य योजना से डुप्लीकेसी/ओवरलैपिंग नहीं होगी।

(vi) उक्त योजना का उद्देश्य असंयोजित बसावटों को नये मार्गो से संयोजन प्रदान किया जाना है, पूर्व से निर्मित ब्लैक टॉप या सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों की मरम्मत का कार्य इस योजना में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक जनपद में संयोजन से वंचित ग्रामों/बसावटों की पहचान/चयन के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। समिति द्वारा जनपद में प्राथमिकता एवं अवरोही क्रम (प्रथमतः 250 से 200 तक जनसंख्या, द्वितीय प्राथमिकता में 200 से 150 तक एवं तृतीय प्राथमिकता में 150 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों) में ग्रामों की जनसंख्या पर विचार करते हुये परियोजनाओं के चयन की संस्तुति की जायेगी।

जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष।
जिलाधिकारी	सचिव।
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य।
अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य।
अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0	सदस्य।
अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग	संयोजक।

(आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी अन्य विभागों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकते हैं।)

(viii) उक्त समिति द्वारा चयनित कार्यो के प्रस्तावों को विलम्बतम् सम्बन्धित वर्ष के 31 जनवरी तक मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, द्वारा प्रस्तावों का सम्यक् परीक्षण कर विभागीय बजट व्यवस्था के अनुरूप औचित्यपूर्ण प्रस्ताव ससमय शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे। उपलब्ध कराये गये कार्यो के डी0पी0आर0 गठन हेतु 31 मार्च तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात 30 जून तक विभाग द्वारा कार्यो की विस्तृत डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की जायेंगी। स्वीकृत कार्यो में विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण एवं गठन 30 सितम्बर तक पूर्ण करने के पश्चात 01 अक्टूबर से कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

(ix) परियोजनाओं के प्रथम चरण हेतु राज्य योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी एवं द्वितीय चरण में अधिक से अधिक कार्यो का वित्त पोषण नाबार्ड योजनान्तर्गत किया जायेगा।

(x) उक्त योजनान्तर्गत कार्यो का कियान्वयन/पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, विभागीय अधिकारियों द्वारा गहनता से किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्यो की गुणवत्ता की जांच स्वतंत्र जांच एजेन्सी से करायी जा सकती है।

(xi) परिमण्डल स्तर पर विभाग के अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक माह में कम से कम एक बार इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के अनुरक्षण हेतु उसी ठेकेदार से अनुबन्ध के समय कार्य समाप्त की तिथि से 05 वर्ष तक रख–रखाव का प्रावधान किया जायेगा। इस हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 की ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति–2015 का पालन किया जायेगा।

(xii) योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यो की प्रगति आख्या एवं फोटोग्राफ्स को पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल में नियमित रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— यह आदेश मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं0—4/2/XVII/XXI/2023 CX, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 में निर्गत आदेशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Signed by Radhika Jha
Date: 28-12-2023 15:21:23

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या— 757 (1)/XII—3/2023/01(01)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
6. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी/ कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
8. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, स्तर—2, ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल, नैनीताल।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
15. मंत्रिपरिषद अनुभाग/वित्त अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mayawati Dhakriyal
Date: 28-12-2023 16:13:06

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।